



182993 - क्रिस्तों की बिक्री में देर से भुगतान करने पर जुर्माना लगाने के बजाय बैंक के लिए अपना हक हासिल करने के लिए शर्ई विकल्प

प्रश्न

आपने पहले प्रश्न संख्या (140603) में उल्लेख किया है कि इस्लामिक बैंक के लिए अपने ग्राहक पर जुर्माना की शर्त लगाने की अनुमति नहीं है ताकि वह उससे यह गारंटी प्राप्त कर सके कि वह उसके लिए वित्तपोषित क्रिस्तों का भुगतान बैंक को उनके बीच सहमत समय पर करेगा। मेरा प्रश्न यह है : क्या वित्तीय जुर्माने के अलावा शर्ई रूप से अनुमेय कोई विकल्प है जो इस्लामिक बैंक ऐसे रियल एस्टेट संबंधी लेनदेन में ग्राहक पर क्रिस्तों के भुगतान की तारीखों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित कर सकते हैं?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

यदि बैंक ग्राहक को क्रिस्तों में अचल संपत्ति बेचता है, तो उसके लिए देर से भुगतान की स्थिति में ग्राहक पर जुर्माना लगाने की अनुमति नहीं है ; क्योंकि क्रिस्तें ग्राहक पर एक ऋण हैं, और ऋण के भुगतान में देरी होने पर जुर्माना वसूलना करना रिबा (सूद) के अंतर्गत आता है। तथा प्रश्न संख्या : (89978) और प्रश्न संख्या : (112090) के उत्तर देखें।

बैंक के लिए - अपने अधिकार की गारंटी के लिए – एक दायी ज़मानतदार (गारंटर) नियुक्त करने की शर्त लगाना धर्मसंगत है, अर्थात् देनदार के अलावा एक अन्य गारंटर, जिससे बैंक अपनी क्रिस्त के भुगतान की माँग कर सकता है, यदि वह व्यक्ति जिसपर देनदारी है भुगतान करने में देरी करता है या भुगतान करने में टालमटोल करता है।

वह (बैंक) रेहन (बंधक) भी ले सकता है, जिसमें स्वयं बेची गई वस्तु को बंधक के रूप में लेना भी शामिल है। इसलिए ग्राहक को इसका उपयोग करने की अनुमति देने के साथ, भुगतान किए जाने तक इसे गिरवी रखा जाएगा। इसे गिरवी रखने का लाभ यह है कि : ग्राहक इसे बेचने में सक्षम नहीं होगा। उसपर यह शर्त लगाना भी जायज़ है कि : यदि वह भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो बैंक अदालत में जाने की आवश्यकता के बिना गिरवी रखी गई वस्तु को बेच देगा।

इसी तरह गारंटी के साधनों में से एक : ग्राहक पर उसी बैंक में अपने खाते का हस्तांतरण करने, और वेतन का भुगतान होते ही बैंक को ऋज की क्रिस्तें लेने में सक्षम बनाने की शर्त निर्धारित करना भी है।



उसी में से एक तरीका : टालमटोल करने वाले ग्राहक को काली सूची में डालना, और सभी बैंकों के साथ इस बात पर सहमति बनाना है कि वे इस सूची में शामिल लोगों के साथ व्यवहार न करें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।